भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2258
07/08/2026 को उत्तरार्थ

विषय- पंजाब में फसल विविधीकरण और फसल अवशेष प्रबंधन कार्यक्रम

2258. श्रीतरुण चुगः

क्या ***कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री*** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पंजाब में फसल विविधीकरण और फसल अवशेष प्रबंधन कार्यक्रमों के अंतर्गत पिछले चार वर्षों के दौरान स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई केंद्रीय सहायता सहित इनके उद्देश्यों, कार्यान्वयन एजेंसियों और इसके अंतर्गत हुई भौतिक प्रगति का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पंजाब में निर्धारित लक्ष्यों, प्राप्त उपलब्धियों, कमियों और उनके कारणों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कमियों को दूर करने के लिए पंजाब सरकार के परामर्श से किए गए/किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा और उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के तहत फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) को वर्ष 2013-14 से मूल रूप से हरित क्रांति में शामिल रहे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्यों में बढ़ावा दे रहा है। इसका उद्देश्य अधिक जल की खपत वाली धान की खेती से हटकर कम जल की खपत वाली वैकल्पिक फसलों जैसे श्री अन्न, दलहन , तिलहन, मोटे अनाज आदि की खेती को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के तहत वैकल्पिक फसल प्रदर्शन, कृषि मशीनीकरण और मूल्यवर्धन, स्थल-विशिष्ट हस्तक्षेप और जागरूकता सृजन एवं क्षमता निर्माण से संबंधित आकस्मिक गतिविधियों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

धान की पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनों पर सब्सिडी देने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार के प्रयासों का समर्थन करने हेतु कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को स्वस्थाने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपाय अपनाने और धान की पराली का विभिन्न अनुप्रयोगों में एक्स-सीटू उपयोग करने में सहायता प्रदान की जाती है। किसानों द्वारा व्यक्तिगत स्वामित्व के आधार पर मशीनें खरीदने के लिए 50% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि किसान आसानी से कृषि उपकरण प्राप्त कर सकें और खरीद सकें, जिन्हें वे अन्यथा वहन करने में संभवतः सक्षम न हों। क्लस्टर हायरिंग सेंटर्स को उच्च सब्सिडी (80%) प्रदान की जाती है, जिससे किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों को किराये पर लेने की सुविधा मिलती है और मशीनरी स्वयं खरीदने की तुलना में किसानों को कम लागत आती है।

फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन की रणनीति में ऐसी तकनीकों और मशीनों को बढ़ावा देना शामिल है जो फसल अवशेषों को सीधे खेत में मिट्टी में मिला देती हैं, रोक कर रखती हैं या मल्चिंग करती हैं। सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, सरफेस सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, मल्चर, श्रब मास्टर/रोटरी स्लैशर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, हाइड्रॉलिकली रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लो, क्रॉप रीपर और रीपर बाइंडर जैसी मशीनों का उपयोग अवशेषों को जलाने के बजाय उन्हें मिट्टी में वापस मिलाने के लिए किया जाता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है। धान के पुआल के इन-सीटू अपघटन में तेजी लाने के लिए जैव-अपघटकों का उपयोग किया जाता है।

एक्स-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन रणनीति का उद्देश्य खेत से धान के भूसे का जैव-ऊर्जा, तापीय विद्युत संयंत्र, जैव-सीएनजी और ईंधन जैसे उद्योगों में उपयोग के लिए इसका संग्रहण, गांठें बनाकर और परिवहन करके समूह-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करना है। धान के भूसे की आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के लिए 1.50 करोड़ रुपये तक की मशीनरी की पूंजी लागत पर 65% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) के माध्यम से हितधारकों, किसानों और आम जनता को पराली जलाने के हानिकारक प्रभावों और प्रबंधन प्रथाओं के लाभों के बारे में जागरूक किया जाता है। इसमें बड़े पैमाने पर प्रदर्शन, प्रशिक्षण और शिक्षा कार्यक्रम शामिल हैं।

सीडीपी और सीआरएम का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक पंजाब राज्य को 1246.25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसमें से 974.41 करोड़ रुपये जारी किए गए थे और इसमें से 827.12 करोड़ रुपये राज्य द्वारा इन योजनाओं के तहत उपयोग किए जा चुके हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान सीआरएम और सीडीपी के तहत निर्धारित जिलावार लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियों की रिपोर्ट **अनुबंध-I** में दी गई है।

फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना के अंतर्गत समीक्षा बैठकें माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के स्तर पर राज्यों के माननीय कृषि मंत्रियों और संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित की जाती हैं, ताकि योजना के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा की जा सके। इसके अतिरिक्त, सीआरएम और फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) पर समीक्षा बैठकें सचिव/संयुक्त सचिव के स्तर पर राज्य सरकारों के अधिकारियों के साथ नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, धान के भूसे के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी और समयबद्ध कार्यान्वयन की नियमित निगरानी के लिए दिनांक 18.12.2023 को एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया था। यह समिति समन्वित और सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्य करती है। आईएमसी दिल्ली में राज्य सरकारों के साथ मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करती है और कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों की प्रभावी निगरानी और समय पर समाधान के लिए राज्यों का दौरा भी करती है। दिसंबर 2023 में गठन के बाद से, आईएमसी जून 2026 तक 26 बैठकें कर चुकी है।

अनुबंध- 1

राज्यसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2258 के बिंदु (क) से (ग) में संदर्भित वर्ष 2025-26 के दौरान सीआरएम और सीडीपी के तहत राज्य द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार, निर्धारित जिलावार लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियां

ज़िला	सीआरएम 2025-2026				सीडीपी 2025-2026	
	लक्ष्य की संख्या		उपलब्धियों की संख्या		लक्ष्य (एकड़ में)	उपलब्धि (एकड़ में)
	सीएचसी	निजी	सीएचसी	निजी	फसल प्रदर्शन	
अमृतसर	75	218	33	232	400	172
बरनाला	63	185	50	198	300	41.7
बठिंडा	92	293	70	399	5000	1649
फरीदकोट	67	199	27	139	50	27
फतेहगढ़ साहिब	36	105	29	44	200	145
फ़ाज़िल्का	81	234	80	212	300	240.3
फिरोजपुर	94	242	117	287	50	35
गुरदासपुर	63	185	66	252	3750	1557
होशियारपुर	25	93	18	179	-	-
जालंधर	68	199	118	239	1250	2410
कपूरथला	50	144	41	215	1250	0
लुधियाना	107	280	84	289	350	213
मनसा	69	203	67	240	50	106
मोगा	87	255	31	241	200	315
पठानकोट	21	93	14	66	-	-
पटियाला	99	291	74	226	200	404
रूपनगर	21	93	19	85	-	-
संगरूर + मालेरकोटला	138	369	160	467	5000	1867
एसएएस नगर	21	93	28	93	-	-
एसबीएस नगर	21	93	8	94	350	744.5
श्री मुक्तसर साहिब	104	268	87	219	200	2.4
तरन तारन	86	249	41	222	300	70
